



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 24, 2018/कार्तिक 2, 1940

No. 762]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018/KARTIKA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 1058(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में पुस्तकालय -- सह सूचना सहायक भर्ती नियम, 2003 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून (समूह 'ग' समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2001, को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक (कार्यालय), आशुलिपिक श्रेणी-II और हिन्दी अनुवादक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून समूह ख पद, भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना—यह नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता :—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव, नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेदन जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>वॉछनीय:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेसन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स (35,400 - 1,12,400) रु. में स्तर-6 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण - 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण - 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य अवर सचिव (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक (कार्यालय)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु0 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (25500 -- 81100रु.) में स्तर 4 में से ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य 3. प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य 4. अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य 3. प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य 4. अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय —सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कनिष्ठ अनुवादक।	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु035400-112400रु0)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)।	<p>जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर्स डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।</p> <p>जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।</p> <p>अथवा</p>

<p>टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री हो तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।</p> <p>अथवा</p> <p>जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री हो जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।</p> <p>हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालय जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
---	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क)(i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मेट्रिक्स (29,200-92,300 रु.) में स्तर-5 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण - 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. आशुलिपिक श्रेणी-I	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु0 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में से ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II, जिन्होंने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य 3. प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य 4. अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य 3. प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य 4. अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. 9-5/2013-एफ.ई.]

एस. के. परिडा, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2018

G.S.R. 1058(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun Library-cum Information Assistant Recruitment Rules, 2003, and the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Assistant (Office), Stenographer Grade-II and Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. —These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification and level in pay matrix. —The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
5. Disqualification. — No person, —
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. Saving. —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
1. Assistant Library and Information Officer.	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed or direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the	Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or Autonomous or	Not applicable.	Two years direct for recruits.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

<p>age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution.</p>			
	<p>Desirable: (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p>			
	<p>Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
11	12	13
Deputation/absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the post in level 6 in pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.

1	2	3	4	5
2. Assistant (Office).	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 in pay matrix. (Rs.35400-112400).	Selection.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

11	12	13
Promotion: Upper Division Clerk in level 4 in pay matrix, (Rs.25500-81100) in Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun with ten years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member.	
--	---	--

1	2	3	4	5
3. Junior Translator.	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 6 in pay matrix. (Rs.35400-112400).	Not applicable.

6	7	8	9	10
<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the Instructions or Orders issued by Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation / absorption failing which by direct recruitment.

	any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	---	--	--	--

11	12	13
Deputation/absorption: Officers of the Central Government, — (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the post in level 5 (Rs. 29200-92300) in pay matrix or equivalent rendered in the parent cadre or Department after appointment thereto on a regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4	5
4. Stenographer Grade-I.	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 in pay matrix. (Rs.35400-112400).	Selection.

6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

11	12	13
Promotion: Stenographer Grade-II in level 4 in pay matrix in Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun with ten years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member; 4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	<p>3. Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun — Member;</p> <p>4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member.</p>	
---	---	--

[F.No. 9-5/2013-FE]
S.K. PARIDA, Under Secy.